न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ. भंवर लाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 03/2023
दायर दिनांकः 04.04.2023
निर्णय दिनांक 20.02.2024

–ःअनवानः–

राज्य सरकार जरिये, विजय सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, कुम्भलगढ

—— **प्रार्थी**

बनाम

किशन सिंह पुत्र भेरू सिंह, निवासी जनावद तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द

—— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल०पी०जी० गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. गैस को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1– श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री किशन सिंह अप्रार्थी

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.02.2023 को हमराह श्री संदीप माथुर जिला रसद अधिकारी, श्री लोकेश जोशी, प्रवर्तन निरीक्षक, नाथद्वारा श्री सोहन सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक, देवगढ़ द्वारा मुखबीर की सूचना पर गोमती चौराहा स्थित श्री किशन सिंह पुत्र भेरू सिंह निवासी जनावद तहसील गढ़वोर की दूकान पर निरीक्षण हेतु पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान बंद पाई गई। दुकान के समक्ष खड़े व्यक्ति से पूछताछ करने पर स्वंय का नाम किशन सिंह पुत्र श्री भेरूसिंह निवासी जनावद का होना बताया। जांच दल द्वारा आग्रह करने पर किशन सिंह द्वारा स्वंय की चाबी से दुकान का ताला खोला गया एवं प्रवेश करने पर गैस रिफलिंग हेतु प्रयुक्त 02 पीतल की बासुरिया, 05 खाली एवं 02 भरे हुए कुल 07 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए, जिनके क्रम में किशन सिंह से पूछताछ करने पर बताया गया कि उपभोक्ताओं से खाली सिलेण्डर प्राप्त कर विभिन्न गैस एजेन्सियों से भरे सिलेण्डर प्राप्त कर 20 रुपये प्रति सिलेण्डर के कमीशन पर एलपीजी गैस का कारोबार करता हूँ। जांच दल द्वारा गैस एजेन्सियों के नाम एवं वैध अनुज्ञापत्र के बारे में पूछने पर इधर–उधर की बाते कर गुमराह किया गया एवं कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 05 खाली एवं 02 भरे हुए कुल 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28.400 किलोग्राम गैस जब्त की जाकर श्री केतन मादरेचा पुत्र श्री बाबूलाल मादरेचा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रोपराइटर मै० छोगालाल श्याम इण्डेन ग्रामीण वितरक चारभुजा जिला राजसमन्द को ठीक तरीके से सुपुर्द किये जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उनमें संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का प्रकार	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का (बाट, माप विभाग से प्रमाणित) मशीन से तोलने पर कुल वजन	सिलेण्डर मे उपलब्ध गैस का वजन किलोग्राम में
1	007605	बी.पी.सी.एल.	डीओएम	15.700	15.700	0
2	798615	बी.पी.सी.एल.	डीओएम	15.600	15.600	0
3	0318807	बी.पी.सी.एल.	डीओएम	15.500	15.500	0
4	199585	बी.पी.सी.एल.	डीओएम	15.900	15.900	0
5	088865	बी.पी.सी.एल.	डीओएम	15.400	15.400	0
6	576972	बी.पी.सी.एल.	डीओएम	15.600	29.800	14.200
7	814935	बी.पी.सी.एल.	डीओएम	15.800	30.800	14.200
योग				109.500	138.700	28.400

श्री किशन सिंह पुत्र भेरू सिंह, निवासी जनावद तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू गैस का अवैध भण्डारण करने पर कालाबाजारी किया जाना पाया गया, जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रब्यूशन) आर्डर, 2000 का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्त शुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28.4 किलो गैस एवं गैस रिफलिंग हेतु प्रयुक्त होने वाली 02 पीतल की बांसुरिया को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06—02—2023 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी महोदय द्वारा मेरी दूकान पर आये जिसमे मैं गैस चुल्हा रिपेयरिंग, मिक्सर, कुकर इत्यादि रिपेयरिंग का कार्य करता हूँ। मेरी दूकान पर मेरे मिलने वाले सगे सम्बन्धी तथा मेरे गाँव के कुछ लोग गैस सिलेंडर भरवाने गोमती चौराहा आये थे, क्योंकि उनके घर पर गैस सिलेंडर कि होम डिलीवरी नहीं होती है अतः उन्होंने मेरी दूकान पर गैस सिलिंडर कि सप्लायर वाली गाडी के इंतजार में गैस सिलेंडर रखे। परन्तु दिनांक 05—02—23 को सप्लायर गाडी नहीं आने के कारण वो सभी सिलेंडर मेरी दूकान पर ही रख कर घर चले गए। दिनांक 06—02—23 को मै सुबह गोमती चौराहा घरेलु सामान लेने आया हुआ था तभी मुझे जिला रसद अधिकारी जी ने दूकान पर बुलाया गया। तथा मुझे दूकान खोलने के लिए कहा जिस पर मैंने दूकान खोली तथा उनके द्वारा कि जा रही पृछताछ का संतोषप्रद जवाब भी दिया। तब उन्होंने मेरे यहाँ मेरी दूकान पर मिलने वालों के रखे हुए सिलेंडर जब्त कर लिए। इस बाबत मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहूँगा कि श्रीमान वो सिलिंडर मेरे नहीं थे तथा मैं इनसे कमीशन पर सिलेंडर भरवाने का किसी भी तरह कार्य नहीं करता हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे मिलने वालो के जो सिलिंडर जब्त किये गए है। उनको वापस सुपुंर्द किया जावें।

प्रार्थी पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी पेरोकार सरकार के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के पास से जब्त शुदा उक्त 07 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर उसके स्वय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के है, जिनका व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्त शुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28.4 किलो गैस एवं गैस रिफलिंग हेतु प्रयुक्त होने वाली 02 पीतल की बांसुरिया को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

प्रार्थी पेरोकार और अप्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। जांच के दौरान अप्रार्थी से 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28.4 किलो गैस एवं गैस रिफलिंग हेतु प्रयुक्त होने वाली 02 पीतल की बांसुरिया प्राप्त हुई। 02 पीतल की बांसुरियो से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी के उक्त 07 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग किये जाने से उन पर नियमानुसार प्रति सिलेण्डर 1500/– का जुर्माना आरोपित किया जाता हैं। अप्रार्थी से कुल 10500/– अक्षरे दस हजार पॉच सौ रूपये की जुर्माना राशि राजकोष में जमा होने पर उक्त जब्तशुदा 07 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों, एवं 02 पीतल की बांसुरिया को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नही कराने पर उक्त 07 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर, एवं 02 पीतल की बांसुरिया को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी से जब्तशुदा 07 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग पर नियमानुसार प्रति सिलेण्डर 1500/– जुर्माना राशि कुल 10500/– अक्षरे दस हजार पाचॅ सौ रूपये राजकोष में जमा होने पर उक्त जब्तशुदा 07 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त मामले में जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि जुर्माना राशि जमा होने पर उक्त जब्तशुदा 07 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों एवं 02 पीतल की बांसुरिया को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जावें और राशि जमा नही कराने पर उक्त 07 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर एवं 02 पीतल की बांसुरिया को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

(डॉ.भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 20.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)